न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 68/2022

अपीलांट –   ***बनाम***   **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट –

1. मंगलदान पुत्र खुमाणदान
2. हरसिंहदान पुत्र खुमाणदान
3. रेखों उर्फ रेखूदेवी पुत्री खुमाणदान

जाति चारण निवासी सुरा चारणान तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर
2. जेठमालसिंह पुत्र अमरसिंह
3. ओसियाबाई पत्नी जेठमालसिंह
   जाति राजपूत निवासी सोखरू तहसील व जिला बाड़मेर
4. बाबूराम पुत्र राणाराम सुथार निवासी सुरा चारणान तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश क्रमांक राज/75/298 दिनांक 06.03.1975 जिस पर मौजा सोखरू के नामान्तरकरण सं. 95 तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील बीएल रामावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 2से4 नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.01.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक राज/75/298 दिनांक 06.03. 1975 जिस पर मौजा सोखरू का नामान्तरकरण सं. 95 पारित किया गया के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा सोखरू के खसरा नम्बर 9/5 रकबा 75–00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में खुमाणदान पुत्र सोनदान चारण सुरा (मंगलदान, हरसिंह, तगू, सरिया, रेखू पि0 खुमाणदान गैर खातेदार के रूप में दर्ज थी। तहसीलदार बाड़मेर के आ[illegible]/75/298 दिनांक 06.03.1975 के अनुसार आवंटन खारि[illegible] राजस्थान सरकार के पक्ष में दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दि[illegible]0.03. 1975 को स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:37:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश दिनांक 06.03.1975 एवं उसके अनुसरण पारित नामान्तरकरण सं. 95 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2022 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से निवेदन किया हैं कि अपीलांटगण के पिता खुमाणदान पुत्र सोनदान निवासी सुरा भूमिहीन थे, जिनको भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की मिटिंग दिनांक 13.05.1967 में मौजा सोखरू के खसरा नम्बर 9 में 75 बीघा भूमि आवंटन हुई। अपीलांट उक्त आवंटित भूमि पर अपने पिता खुमाणदान की मृत्यु के बाद से लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अर्सा 20 दिन पूर्व उतरदाता सं. 2से3 ने अपीलांट के कब्जे–काश्त में दखल अंदाजी की व अपीलांट को बेदखल करने की धमकियां दी। उत्तरदातागण द्वारा बताया कि विवादित भूमि उनकी है तब अपीलांट्स को अपने हक–हकूक संशयप्रद लगे तो अपीलांट दिनांक 19.19.2022 को राजस्व रेकर्ड की नकलें मांगी जो दिनांक 20.09.2022 को प्राप्त हुई। राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उतरदाता सं. 1 तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना कोई जांच किये विधि विरूद्ध आदेश राज/75/298 दिनांक 06.03.1975 के द्वारा अपीलांट के पिता खुमाणदान का आवंटन खारिज कर दिया तथा नामान्तरकरण सं. 95 परिवर्तित खसरा सं. 9/59 पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है तथा अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्ट्या विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। उतरदाता सं. 1 द्वारा उतरदाता सं. 2 व 3 को 25 बीघा व उतरदाता सं. 4 को 50 [illegible] बिना कोई जांच किये आवंटन कर दी गई। उतरदाता [illegible] नाराम जाति सुथार निवासी सुरा को मौजा कनोड़ा के खसरा न[illegible] 34/1 रकबा 50 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट के पिता के साथ ही आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:37:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

13.05.1967 को कर दिया था। उक्त आवंटन का खसरा नम्बर 9/29 रकबा 50 बीघा का आगामी जमाबन्दी चौसाला तहरीर में दर्ज नहीं हुआ था किन्तु बाद में दिनांक 17.05.2022 को राजस्व केम्पों में पुनः जोड़ कर अमल दरामद किया गया। इससे स्पष्ट है कि उतरदाता को गलत रूप से भूमि आवंटित की गयी थी तथा यह भी साबित है कि भूमि पर उतरदाता का कोई कब्जा–काश्त नहीं हैं। रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा भू–राजस्व (भू–अभिलेख नियम 1957) के नियमों के तहत कार्यवाही न कर विधि विरूद्ध रूप से आलौच्य आदेश पारित किये है जो आवंटन प्रक्रिया की दुरूपयोग की श्रेणी में आता हैं।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अर्सा 20 दिन पूर्व उतरदाता सं. 2से3 ने अपीलांट के कब्जे–काश्त में दखल अंदाजी की व अपीलांट को बेदखल करने की धमकियां दी। उत्तरदातागण द्वारा बताया कि विवादित भूमि उनकी है तब अपीलांट्स को अपने हक–हकूक संशयप्रद लगे तो अपीलांट दिनांक 19.19.2022 को राजस्व रेकर्ड की नकलें मांगी जो दिनांक 20.09.2022 को प्राप्त हुई। राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उतरदाता सं. 1 तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना कोई जांच किये विधि विरूद्ध आदेश राज/75/298 दिनांक 06.03.1975 के द्वारा अपीलांट के पिता खुमाणदान का आवंटन खारिज कर दिया तथा नामान्तरकरण सं. 95 परिवर्तित खसरा सं. 9/59 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है, अपीलांट ने जानबूझकर कोई देरी नहीं की है। ज्ञान के अभाव में देरी हुई है, किसी विधि विरूद्ध आदेश को किसी भी स्तर पर कभी भी चुनौती दी जा सकती हैं। अज्ञानतावश आलौच्य आदेश दिनांक 06.07.1975 से कानूनन अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर उतरदाता सं. 1 तहसीलदार बाड़मेर के निर्णय दिनांक 03.06.1975 व नामान्तरकरण सं. 95 मौजा सोखरू निरस्त कर उसके पश्चात के समस्त राजस्व रेकर्ड को भी निरस्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:37:08 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सोखरू के खसरा नम्बर 9/5 रकबा 75–00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में खुमाणदान पुत्र सोनदान चारण सुरा (मंगलदान, हरसिंह, तगू, सरिया, रेखू पि0 खुमाणदान गैर खातेदार के रूप में दर्ज थी। तहसीलदार बाड़मेर के आदेश राज/75/298 दिनांक 06.03.1975 के अनुसार आवंटन खारिज होने से नामान्तरकरण सं. 95 राजस्थान सरकार के पक्ष में दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 30.03.1975 को स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के उक्त आदेश दिनांक 06.03.1975 एवं उसके अनुसरण पारित नामान्तरकरण सं. 95 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2022 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील करीब 47 वर्ष की लम्बी मयाद अवधि के बाद प्रस्तुत की हैं तथा विलम्ब के कारण प्रकट करते हुए अंकित किया हैं कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अर्सा 20 दिन पूर्व दखलदांजी करने पर राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तथा सर्वप्रथम ज्ञान हुआ हैं। इस प्रकार 47 वर्ष की लम्बी समयावधि के विलम्ब का यह एकमात्र मानने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा भूमि आवंटन को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार में निहित ही नहीं है तथा इसके लिये जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर न्यायालय के समक्ष चाराजोही पर ही उचित निर्णय लिया जाता हैं, तहसीलदार बाड़मेर के जिस आदेश दिनांक 06.03.1975 का विवरण अंकित किया हैं, यह न्यायालय आदेश की पालना से सम्बन्धित हो सकता हैं। ऐसे में जब तक आवंटन निरस्तीकरण के मूल आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है, उसके अनुसरण में भरे गये नामान्तरकरण को विधि विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 95 में उल्लेखित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.1975 एवं नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश पूर्णतया विधिसम्मत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:37:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मयाद बाहर होने से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:37:08 IST
Reason: SelfAttested